





क्र. सं.	दिनांक या कार्यवाही	बाधा निवृत्त कर से
	10/4/23	<p>पत्रावली पेश हुई। पञ्जाब वकील उप. है। ज. पत्र 15/1/23 का पत्र हुआ, ज. मिलान है। वाल्वे आग्रिम कार्यवाही पत्रावली दिनांक 12/4/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप. अधिकारी जयपुर </p>
	17/4/23	<p>पत्रावली पेश हुई। पञ्जाब वकील उप. है। वाल्वे आग्रिम कार्यवाही पत्रावली दिनांक 3/5/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप. अधिकारी </p>
	03/5/2023	<p>पत्रावली पेश हुई। पञ्जाब वकील उप. है। वाल्वे आग्रिम कार्यवाही पत्रावली दिनांक 10/5/2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप. अधिकारी </p>
	10/05/2023	<p>पत्रावली पेश हुई। पञ्जाब वकील उप. है। वाल्वे आग्रिम कार्यवाही पत्रावली दिनांक 10/5/2023 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। पञ्जाब वकील उप. है। वाल्वे आग्रिम कार्यवाही पत्रावली दिनांक 10/5/2023 को पेश हो।</p> <p>उपस्थित है, पत्रावली का अवलोकन किया तो वह सीलदार द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार वादी द्वारा चाटी गई डिलिक पूर्व में सिपे भाग से दावा वादी खरिज डिये पर युक्त हो वादी का दावा खरिज सिपे जाने से जर्ची का जर्ची पत्र खरिज किया जाता है। पत्रावली वीड वकील दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">  उप. अधिकारी जयपुर </p>